छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–33/2015/38–1 रायपुर, दिनांक /07/2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन ,
नया रायपुर।

विषय :– **प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि बाबत्।**

--

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय महाविद्यालयो मे सत्र 2016–17 में प्रवेश मार्ग–दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट सख्या मे निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि
1	शासकीय महाविद्यालय पलारी	बी.ए.भाग–1	50
2	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय बलौदा बाजार	बी.एस.सी. (बायो ग्रुप)	30

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयो में निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी:–

1. प्राचार्य के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि बढी हुई सीट संख्या अनुसार कक्षा मे छात्र–छात्राओं के बैठने की व्यवस्था हो तथा प्रयोगशाला में समानुपातिक रुप से संसाधान उपलब्ध हो। यदि संख्या में बैठने की व्यवस्था नहीं है या अन्य संसाधन नहीं है तो सीट वृद्धि को समर्पित किया जायेगा ।
2. बढी हुई सीट मे प्रवेश के फलस्वरुप अतिरिक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद की मांग नहीं की जावेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन प्रभावित ना हो इसके फलस्वरुप किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो।

(डॉ.समरेन्द्र सिंह)
राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

C1(L109)a

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक एफ 3–33/2015/38–1 रायपुर, दिनांक 27/07/2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
4. कलेक्टर जिला बलौदाबाजार।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
6. संबंधित प्राचार्य...,

   की ओर सूचनार्थ प्रेषित,

7. कुल सचिव, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़,
8. आदेश फोल्डर ।

राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

CI(L110)a

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नया रायपुर

क्रमाक एफ 3–34 / 2015 / 38–1 रायपुर, दिनांक / 07 / 2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन ,
नया रायपुर।

विषय :– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बाबत्।

--

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना / जनभागीदारी समिति से नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट संख्या
1	2	3	4
1	शा.स्व.दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल, जिला बलौदाबाजार,	एम.ए भूगोल (स्ववित्तीय)	30
2.	शासकीय महाविद्यालय लवन, बलौदाबाजार	एम. ए. हिन्दी (स्ववित्तीय)	30
3	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी	पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तीय)	25

उक्त अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदाय की जाती है :–

1. स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत जनभागीदारी समिति के माध्यम से उक्त पाठ्यक्रमों का सचालन होगा ।
2. शैक्षणिक कर्मचारियों की एवं लाईब्रेरी, फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा, अर्थात राज्य शासन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु कोई भी अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार की जावेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर आय–व्यय की लेखों का सत्यापन विभागीय अंकेक्षण दल / सी.ए. द्वारा कराया जाकर प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा सचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

C 1(L108)a

Scanned by CamScanner

5 उक्त पाठ्यकम प्रारभ करने की अनुमति के पश्चात संबधित विश्वविद्यालय द्वारा विषय/विशेषज्ञ मनोनित किया जाकर निरीक्षण समिति के अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी संबद्धता नियमानुसार प्रदान करेगा।

(डॉ.समरेन्द्र सिंह)
राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

पृ.कमाक एफ 3–34/2015/38–1 रायपुर, दिनांक 27/07/2016

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
4. कलेक्टर जिला – बलौदाबाजार
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
6. सबधित प्राचार्य...,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित,

7. कुल सचिव, प रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
8. आदेश फोल्डर ।

राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

Scanned by CamScanner